

पत्रांक:- 04/NULM-65/2016/...../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत
(औरंगाबाद/छपरा/सहरसा/सासाराम/हाजीपुर/सिवान/बेतिया/मोतिहारी/
किशनगंज/बक्सर/जहानाबाद/लखीसराय/नवादा/जमुई/अररिया/मधुबनी/
सीतामढ़ी/गोपालगंज/सुपौल/समस्तीपुर/शेखपुरा/मधेपुरा/भभुआ/खगड़िया/
अरवल/बांका/शिवहर/दानापुर/डेहरी/जमालपुर/बगहा)।

पटना, दिनांक: 20.6.17

विषय:- सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को शिविर के माध्यम से पहचान-पत्र वितरण की तिथि में परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 1303 दिनांक- 05.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि नगर निकाय स्तर पर दिनांक- 24.06.2017 को प्रथम चरण में भौतिक रूप से सत्यापित फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र वितरित किये जाने का निदेश प्रासंगिक पत्र द्वारा दिया गया था। अपरिहार्य कारणवश वर्णित कार्यक्रम की तिथि को परिवर्तित करते हुए दिनांक- 01.07.2017 निर्धारित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि प्रथम चरण हेतु नई निर्धारित तिथि 01.07.2017 को वर्णित कार्यक्रम एवं शेष अगले चरणों का कार्यक्रम प्रासंगिक पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।